

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की अद्यतन स्थिति माह 12/2018

क्रमांक	वादों की स्थिति	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0लोक सेवा अधिकरण	मा0 श्रम न्यायालय	अन्य	योग	अवमाननावाद
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	कुल लंबित वाद	61	4391	653	496	1899	7500	427
2	प्रतिशपथपत्र दाखिल	45	4178	633	492	1853	7201	416
3	कुल अवशेष वाद	16	213	20	4	46	299	11
4	आवश्यकता नहीं	10	84	2	1	3	100	3
5	अवशेष वाद	6	129	18	3	43	199	8

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता(वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(वि0प्र0)

22	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	मु0अ0, यमुना ओखला, नई दिल्ली	17	9	0	8	185	169	16	0	17	17	0	-	-	-	-	-	165	148	17	-
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	1	1	-	-	313	302	11	-	47	46	1	-	31	31	-	-	30	30	0	-
26	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	4	4	-	-	249	240	9	-	36	35	1	-	28	28	-	-	30	30	-	-
27	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	4	3	1	-	346	340	6	-	27	27	0	-	26	26	-	-	55	55	-	-
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	4	3	1	-	347	332	15	-	35	35	0	-	9	9	-	-	36	36	-	-
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	-	-	-	-	79	78	1	-	9	9	-	-	28	28	0	-	10	10	-	-
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	-	-	-	-	8	8	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	61	45	6	10	4391	4178	129	84	653	633	18	2	496	492	3	1	1899	1853	43	3

कुल लम्बित वाद = 7500

प्रतिशपथ-पत्र
दाखिल -

7201

अवशेष - 199

आवश्यकता नहीं

- 100

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

(अशोक कुमार
सिंह)

अधिशाली अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि
प्रकोष्ठ)

24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	-	-	-	-	27	26	1	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	-	-	-	-	15	15	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	-	-	-	-	20	20	-	-	6	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	-	-	-	-	29	29	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	-	-	-	-	9	9	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	1	1	0	0	351	344	5	2	69	65	3	1	0	0	0	0	6	6	0	0

कुल लम्बित वाद – 427

प्रतिशपथ-पत्र 416
दाखिल-

अवशेष 8
- 13

आवश्यकता 3
नही -

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

अधिशासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)

अधीक्षण अभियन्ता(विधि
प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित अंतिम/अनन्तिम आदेशों के अनुपालन की स्थिति माह 12/2018

संगठन का नाम	कुल लम्बित वाद	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम/अनन्तिम आदेश पारित किये गये।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम / अनन्तिम आदेशों का अनुपालन कर दिया गया है।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम / अनन्तिम आदेशों का अनुपालन किया जाना शेष है।	वादों जिनमें अनुपालन शेष है।						वादों की संख्या जिनमें शासन से प्रतिवाद की अनुमति अपेक्षित है।	वादों की संख्या जिनमें प्रतिवाद अनुमति हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित नहीं है।
					जिनमें रिव्यू/स्पेशल अपील मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है।	जिनमें एस0एल0 पी0 दायर है।	वाद जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।	वाद जिनमें याची का प्रत्यावेदन निस्तरण हेतु लम्बित है।	विभाग स्तर पर	शासन स्तर पर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मु0अ0, अग्रिम नियो0, लखनऊ	59	59	58	1	-	-	-	-	2	-	-
2	मु0अ0, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	मु0अ0, अनु0एवं नियो0-बाढ़, लखनऊ	6	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-
4	मु0अ0, अनु0एवं सम0वा0सहा0 लखनऊ	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	3	3	3	0	2	-	-	1	-	-	-
6	मु0अ0, गण्डक, गोरखपुर	47	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-
7	मु0अ0, शारदा सहा0, लखनऊ	178	178	178	-	-	-	-	-	-	-	-
8	मु0अ0 मध्यगंगा, अलीगढ़	19	19	10	9	-	-	-	-	-	-	-
9	मु0अ0, सरयू-1 , अयोध्या	22	22	14	8	3	-	-	-	1	0	-
10	मु0अ0, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
11	मु0अ0, परि0बेतवा, झॉंसी	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-
12	मु0अ0, जलसंसाधन, लखनऊ	11	9	7	2	1	1	-	-	-	-	-
13	मु0अ0, रामगंगा, कानपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	मु0अ0, शारदा, बरेली	146	57	35	22	-	-	-	-	-	-	-
15	मु0अ0, बाणसागर, प्रयागराज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	मु0अ0, सोन, वाराणसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	मु0अ0, सरयू-2, गोण्डा	15	15	10	5	2	-	-	3	-	-	-

18	मु0अ0, बेतवा, झाँसी	12	11	10	1		-	-	-	-	-	-
19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-
20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर	3	3	2	1	1		-	-	-	-	-
21	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	2	1	0	1	-	-	-	-	1	-	-
22	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0सं0 लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	मु0अ0, यमुना, ओखला, नई दिल्ली	21	14	6	8	2	-	-	-	-	6	-
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	137	137	84	53	49	0	0	2	2	-	-
26	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	39	39	17	22	-	-	-	-	-	-	-
27	मु0अ0, नलकूप, वाराणसी	238	238	231	7	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	75	75	31	44	42	2	-	-	-	-	-
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री लखनऊ	51	51	33	18	1	12	1	-	3	-	-
30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अयोध्या	5	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	योग	1105	1005	802	203	103	15	1	6	9	6	0

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र० सं०	माह जनवरी 2012 से माह दिसम्बर-2018 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह माह दिसम्बर-2018 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादो की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1511	1067	2578	1435	949	2384	58	50	108	18 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 68 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में निस्तारित हो जाने के कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 18+68=86

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशायी अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता(विधि प्रकोष्ठ)

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-09 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन
 मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना
 विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-09 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र० सं०	संगठन का नाम	माह जनवरी 2012 से माह दिसम्बर 2018 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह दिसम्बर 2018 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
		इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
											10
1	अग्रिम नियोजन, लखनऊ	1	7	8	0	6	6	1	1	2	-
2	परिकल्प, लखनऊ	0	11	11	0	10	10	0	1	1	रिट याचिका संख्या-5763/एस0एस0/2012 मिनि0एसो0इरी0डिपा0 बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में शासन से अनुमति प्राप्त न होने के कारण प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हो पा रहा है।
3	अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) लखनऊ	0	5	5	0	4	4	0	1	1	-
4	अनुश्रवण एवं समन्वय, वाह0 सहा0 परियोजना, लखनऊ	2	6	8	2	5	7	0	0	0	01 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
5	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	गण्डक, गोरखपुर	91	30	121	83	28	111	8	2	10	-
7	शारदा सहायक, लखनऊ	59	209	268	48	138	186	5	15	20	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 06 वादों में तथा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 56 वाद जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (06 + 56=62)
8	मध्य गंगा अलीगढ़	163	25	188	163	25	188	0	0	0	-

9	सरयू-प्रथम, अयोध्या	3	120	123	3	114	117	0	1	1	1-02 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 2-03 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
10	पूर्वी गंगा मुरादाबाद	78	12	90	71	11	82	0	1	1	1-मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
11	परियोजना बेतवा, झांसी	80	11	91	80	11	91	0	0	0	-
12	जल संसाधन लखनऊ	3	3	6	3	3	6	0	0	0	
13	रामगंगा कानपुर।	143	16	159	138	15	153	5	1	6	
14	शारदा बरेली	36	126	162	36	120	156	0	3	3	1- रिट याचिका संख्या 78/एसएस/2017 राम कृपाल दीक्षित बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 06.01.2017 को आदेश दिये गये है कि "याची द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन का 03 माह के अंदर मुख्य अभियन्ता, शारदा द्वारा निस्तारण नियमानुसार किया जाये। याची द्वारा उपरोक्त प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2017 को प्रस्तुत किया गया है। अधि0 अभि0,सिं0ख0 प्रथम लखीमपुर द्वारा प्रेषित प्रकरण पर मुख्य अभियन्ता शारदा द्वारा मुखरित आदेश निर्गत कर दिये गये है, अतः इस वाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 2- वाद संख्या-4984/एम0एस0/2017 अमरजीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.2017 को खरिज कर दिया गया अतः इस वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। 3- वाद संख्या-7101/एम0एस0/2013 बिन्दुसागर वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2017 को खरिज कर दिया गया अतः इस वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की 03 वादों में आवश्यकता नहीं है।
15	बाणसागर, प्रयागराज	22	3	25	21	3	24	1	0	1	
16	सोन वाराणसी	171	7	178	159	7	166	12	0	12	-

17	सरयू-द्वितीय, गोण्डा	18	31	49	16	29	45	2	2	4	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
18	बेतवा, झांसी	40	8	48	40	8	48	0	0	0	—
19	गंगा, मेरठ	9	0	9	2	0	2	7	0	7	—
20	कनहर, मिर्जापुर	9	1	10	9	1	10	0	0	0	—
21	आई0एस0ओ0, लखनऊ	0	2	2	0	1	1	0	0	0	माह 01/2012 से माह 07/2018 तक मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या 02 है जिसमें 01 वाद रिट याचिका संख्या- 3650/ एस0एस0/2012 श्रीमती प्रतिभा, कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा दाखिल किया गया था, में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 07.08.2014 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। आदेशों की अनुपालना शासन के सिंचाई अनुभाग-1 द्वारा की जानी है। शपथ पत्र दाखिल की सूचना दी गयी है। इसके अतिरिक्त 01 वाद विभाग की ओर से रिट याचिका संख्या-17118/एस0बी0/2016 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम श्री एम0पी0 सक्सेना व अन्य दाखिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा इस रिट याचिका में दिनांक 03.02.2017 को निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन कर दिया गया है। चूंकि यह वाद विभाग की ओर से दाखिल किया गया है, अतः शपथ पत्र दाखिल करने की सूचना नहीं दी गयी है। 01 वाद में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने के आवश्यकता नहीं।
22	निदेशक जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	—
23	यमुना ओखला, नई दिल्ली	9	3	12	0	0	0	4	1	5	05 वाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एवं 02 वाद मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (कुल 5+2=7)
24	राज्य अभियंत्रण एकादमी, ओखला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
25	नलकूप मध्य, लखनऊ	88	154	242	88	142	230	0	12	12	—
26	नलकूप पश्चिम, मेरठ	127	79	206	121	76	197	6	3	9	—
27	नलकूप, वाराणसी	306	40	346	301	39	340	5	1	6	—
28	नलकूप, पूर्व फैजाबाद	28	141	169	27	136	163	1	5	6	—
29	सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	25	16	41	24	16	40	1	0	1	—

30	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, अलीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
31	मु0अ0, अनु0 एवं0 नियो0, फैजाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	योग	1511	1067	2578	1435	949	2384	58	50	108	18 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 68वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में निस्तारित हो जाने के कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 18+68=86	

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशायी अभियनता(विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियनता(परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियनता(विधि प्रकोष्ठ)

मासिक सूचना

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

न्यायालय वार अवमाननावादों का विवरण जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है। माह 12/2018

क्रमांक	संगठन का नाम	मा0 सवोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	श्रम न्यायालय	अन्य न्यायालय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य अभियन्ता(शा0सहा0), लखनऊ	0	1	0	0	0	1
2	मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), झांसी	0	1	0	0	0	1
3	मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ	0	1	0	0	0	1
4	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ।	0	1	0	0	0	1
5	मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर।	0	1	0	0	0	1
6	मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी	0	0	2	0	0	2
7	मुख्य अभियन्ता(नलकूप), वाराणसी	0	0	1	0	0	1
योग		0	5	3	0	0	8

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

(अशोक कुमार सिंह)

(कुमार विप्लव)

अधिशायी अभियन्ता (वि0प्र0)

मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 12/2018 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

क्र.सं.	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ									
1	रायबरेली खण्ड (दक्षिण) शारदा नहर रायबरेली	65/सी/2012	शिव बरन व अन्य	श्री दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	मूलवाद-2899/एस0एस0/2012	मस्टरराल वर्कचार्ज सेवा के आधार का जी0पी0एफ0 कटौती।	-	अधि0 अभि0रा0खं0द0शा0न0 रायबरेली ने अपने पत्रांक-3564/दिनांक- 20.12.2018 द्वारा अवगत कराया है कि प्रशनगत अवमाननावाद में दिनांक-09.01.2013 को प्रतिपक्षी संख्या-02, श्री अशोक कुमार ओझा, प्रमुख अभि0 एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई तथा प्रतिपक्षी सं0-03, श्री शशिकान्त शर्मा, मु0अ0 शा0सहा0 के नाम नोटिस निर्गत की गई थी। उक्त दोनों अधिकारी, सेवा निवृत्त हो चुके हैं। फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता इलाहाबाद बेंच लखनऊ से वर्तमान में कार्यरत प्रतिपक्षी सं0-02 के स्थान पर श्री विनय कुमार राठी, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग तथा प्रतिपक्षी संख्या-03 के स्थान पर श्री राकेश कुमार गुप्ता मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) के नाम संशोधित नोटिस निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है। संशोधित निर्गत नोटिस के उपरान्त ही प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जाना सम्भव हो सकेगा।	-
मुख्य अभियन्ता (परियोजना-बेतवा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी									
2	मौ0बां0नि0 ख0-1 महोबा	4183/2016	मुहम्मद याकूब	श्री पी0डी0वर्मा प्रमुख अभियन्ता	46682/2015	रिट याचिका संख्या-46682/2015 मुहम्मद याकूब बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन स्वीकृत करने हेतु दायर की गयी है जिसको मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण करते हुये दिनांक 12.08.2015 को आदेश पारित किया।	-	प्रकरण पर प्रतिशपथ-पत्र तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता श्री पी0डी0वर्मा द्वारा दाखिल न किये जाने के कारण प्रकरण वर्तमान में लम्बित है।	-
मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ									
3	नलकूप खण्ड लखीमपुर	850/सी/2017	मौ0 नईम खॉ मस्टरराल	श्री सुरेश चन्द्रा प्रमुख सचिव, सिंचाई	255/एस0एस0/1996	मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-1805.1994 के अनुसार लाभ दिये जाने के आदेश	-	याची द्वारा प्रस्तुत अवमानना याचिका में वांछित अभिलेख न लगाये जाने के कारण मा0 न्यायालय द्वारा याची को 03 सप्ताह का समय अनुपूरक प्रतिशपथ-पत्र के माध्यम से वांछित अभिलेख दाखिल करने का आदेश दिया गया परन्तु अभी तक याची द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण प्रतिवादी को नोटिस जारी नहीं की गयी है, अगली सुनवाई की तिथि-11.01.2019 निर्धारित है।	-

क 0 सं 0	मण्डल/ खण्ड का नाम	अवमाननाव द संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।									
4	मु०नगर खण्ड गंगा नहर, मु०नगर/ प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ	5317/2018	मै० तारा कन्स्ट्रक्शन कं०	श्री टी०वैकटेश व अन्य	-	-	-	अवमाननावाद के निर्णय दिनांक-05.10.2018 के अनुपालन हेतु उच्चाधिकारियों से बजट की मांग की गयी है।	-
मुख्य अभियन्ता (गण्डक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० गोरखपुर।									
5	बाढ़ खण्ड, गोरखपुर	3116/सी/201 8	श्री नबी हसन अली	श्री टी० वैकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई	20820/एम०बी०/2018	-	-	अधि० अभि० के कार्यालय में दिनांक- 20.12.2018 तक नोटिस अप्राप्त है।	-
मा०राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।									
1	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	68/2016	चन्द्रशेखर कुमार मंगलम	दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	176/ 2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	-	उक्त अवमानना याचिका में मा० अधिकरण द्वारा Compliance हेतु दिनांक 12.03.2018 की तिथि नियत की गयी थी श्री चन्द्रशेखर कुमार मंगलम बाण सागर नहर निर्माण खण्ड-10 मिर्जापुर में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं इनके मण्डल का नाम बाण सागर नहर निर्माण मण्डल-2 मिर्जापुर है। वर्तमान में श्री मंगलम द्वारा अवशेष एरियर का बीजक तैयार कर अधिशासी अभियन्ता चन्द्रप्रभा प्रखण्ड, मुगलसराय को कास रिफ्रेन्सिंग हेतु प्रेषित किया गया था जिसे कास रिफ्रेन्सिंग करने के पश्चात श्री सी०के०मंगलम अधिशासी अभियन्ता बाण सागर नहर निर्माण खण्ड710 मिर्जापुर को भुगतान हेतु प्रेषित कर दिया गया है। जिसका भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। वित्त नियंत्रक के पत्र संख्या-505/लेखा अनुभाग/दिनांक 28.02.2018 द्वारा श्री चन्द्र शेखर कुमार मंगलम अधिशासी अभियन्ता के संशोधित वेतन निर्धारण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। शासन से अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अवमानना याचिका में Compliance उच्चाधिकारियों द्वारा ही किया जाना है।	-
2	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	32/2017	शिव दास, जूनियर इंजीनियर	प्रमुख सचिव सिंचाई व अन्य	2052/2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	-	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच द्वारा रिट याचिका संख्या-15399/2016 दाखिल कर दिया गया है। तथा मा० अधिकरण में नियम-24 के तहत दाखिल प्रा० पत्र संख्या- 32/2017 की सुनवाई रोकने हेतु शपथ-पत्र मा० अधिकरण में संयुक्त सचिव के हस्ताक्षरोपरान्त दाखिल कर दिया गया है। वर्तमान में रिट याचिका संख्या-15399/2016 में रिज्वाइन्डर दिनांक 19.02.2018 दाखिल करा दिया गया है। विभागा द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या-15399/2016 सरकार बनाम शिव दास एवं अन्य को मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 12.03.2018 को डिसमिस कर दिया गया है। शासन के पत्र संख्या-1234/18-27-सि०-6-1निया/2015 दिनांक 17.04.2018 द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता से विधिक राय मांगी गयी है।	-
मुख्य अभियन्ता (नलकूप) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।									

क 0 सं 0	मण्डल/ खण्ड का नाम	अवमाननाव द संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	नलकूप खण्ड, मिर्जापुर।	534 / 2015	सच्चिदानन्द त्रिपाठी सेवा निवृत्त अवर अभियन्ता द्वारा सेवा निवृत्तिक देयको के विलम्ब से भुगतान के सम्बन्ध में	श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य	वादी द्वारा निवृत्त रिट याचिका संख्या 1070/ 2006 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादी द्वारा यह अवमाननावाद योजित किया गया है।	अवमाननावाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक-20.02.2018 को अपने आदेश दिनांक-28.04.2015 का अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने अथवा दिनांक-06.04.2018 को अधि0अभि0 न0ख0मि0 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश पारित किये गये हैं।	शासन से भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी।	प्रमुख अभियन्ता / ई-11 अनु0 के पत्रांक-3143/ई-11 दिनांक 26.09.2017 द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन हेतु वित्तीय स्वीकृति के लिये प्रकरण शासन में भेजा गया था। शासन के निर्देशानुसार मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 28.04.2015 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-9191/2017 दाखिल की गयी थी जिसमें विभाग के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 01.03.2017 के विरुद्ध दिनांक 24.01.2018 को पुनर्विचार याचिका मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल है। विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल पुनर्विचार याचिका में शीघ्र सुनवाई करा कर मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 20.02.2018 को स्थगित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता नहर खण्ड मिर्जापुर द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किया गया है।	—

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)

(अशोक कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ)